प्राथमिकता

संख्या–U.0 145/नौ–9–13

प्रेषक,

सी0बी0 पालीवाल,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ।
3. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग–9 लखनऊ : दिनांक 10 दिसम्बर, 2013

विषय–भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत सेवायोजकों/ठेकेदारों तथा श्रमिकों का पंजीयन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक केन्द्र सरकार के श्रम विभाग द्वारा बनाये गये भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्यो से सम्बन्धित सेवायोजकों/ठेकेदारों तथा श्रमिकों का पंजीकरण कराने एवं सेवायोजकों द्वारा निर्माण कार्यों (प्रति संलग्न) की कुल लागत की 01 प्रतिशत धनराशि सेस के रूप में जमा कराये जाने का प्राविधान है। उक्त सेस की धनराशि का उपयोग पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के कल्याण हेतु चलाई जा रही योजनाओं (प्रति संलग्न) हेतु किया जाना है।

2. नगर निकायों के अन्तर्गत वृहद स्तर पर निर्माण कार्य होता है और काफी संख्या में ठेकेदार कार्य करते हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में लगभग 35 लाख निर्माण श्रमिक हैं, किन्तु अभी तक मात्र 4 लाख निर्माण श्रमिकों का ही पंजीकरण हो पाया है, जिससे विदित है कि निर्माण श्रमिकों के पंजीकरण की प्रगति अत्यन्त धीमी है। भवन एवं सन्निर्माण कार्यों में योजित श्रमिकों के पंजीकरण कार्य में अपेक्षित प्रगति न होने के कारण श्रमिकों के कल्याण हेतु चलाई जा रही योजनाओं के सापेक्ष सेस की धनराशि का उपयोग नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में लम्बित जनहित याचिका में दिये गये निर्देशों का अनुपालन किया जाना है।

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण श्रमिकों के कल्याणार्थ चलाई जा रही योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु पात्र 18 से 60 वर्ष की आयु के सभी

निर्माण श्रमिक, जिनके द्वारा पंजीकरण के समय विगत 12 महीनों में 90 तक निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य किया गया हो, का शत–प्रतिशत पंजीक अभियान चलाकर सम्बन्धित उप श्रमायुक्त से सम्पर्क स्थापित करके श्रम विभाग के अधिकारियों के माध्यम से सुनिश्चित किया जाय। सेवायोजकों/ठेकेदारों को यह भी अवगत करा दिया जाय कि निर्माण श्रमिकों का पंजीकरण 02 माह के अन्दर न कराने की दशाा में उनको कार्य न दिये जाने पर भी विचार किया जा सकता है। पंजीकरण के कार्यों में गतिशीलता प्रदान करने के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रकिया अपनायी जाय:

- श्रम विभाग के जिला स्तरीय कार्यालय से निर्माण श्रमिक निःशुल्क पंजीकरण फार्म प्राप्त कर सकते हैं।
- पंजीकरण फॉर्म के साथ दो फोटो, आयु प्रमाण–पत्र निर्माण श्रमिक के रूप में विगत 12 महीनों में 90 दिनों तक कार्य करने का प्रमाण–पत्र संलग्न किया जायेगा।
- श्रमिक पंजीकरण शुल्क रू0 50/– तथा एक वर्ष का अशंदान रू0 50/– जमा कर पंजीकरण संख्या सहित पहचान पत्र प्राप्त करेंगे।
- निर्माण श्रमिकों को प्रत्येक वर्ष रू0 50/–अंशदान जमा कर योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु पंजीकरण की निरन्तरता सुनिश्चित की जानी होगी।
- प्रदेश में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्यों में योजित होने वाले श्रमिकों को योजनाओं का लाभ सुनिश्चित कराये जाने हेतु श्रमिकों के पंजीकरण कार्य को विशेष अभियान चलाकर एक पक्ष के अन्तर्गत पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। इस कार्य हेतु शहरों/नगरों में श्रमिक अड्डों पर विशेष कैम्प आयोजित किये जाय। इसके अतिरिक्त शासकीय निर्माण तथा निजी ठेकेदारों द्वारा श्रम विभाग के सक्षम अधिकारियों से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित कर कार्य स्थल पर कार्यरत श्रमिकों का पंजीकरण सुनिश्चित कराया जायेगा।

4. उक्त अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्यों से सम्बन्धित ठेकेदारों द्वारा समस्त निर्माण श्रमिकों का पंजीयन सुनिश्चित किया जायेगा। निविदा आमंत्रित करने वाले अधिकारियों द्वारा निविदा तथा संविदा अनुबन्ध में निर्माण श्रमिकों के पंजीयन कार्य का समावेश किया जायेगा तथा इसकी पुष्टि भी सक्षम अधिकारियों द्वारा की जायेगी। इसके अतिरिक्त सक्षम अधिकारियों द्वारा निर्माण कार्यों की स्वीकृति देने के पूर्व स्वीकृति आदेश में भवन निर्माता/ठेकेदारों द्वारा निर्माण स्थल पर कार्यरत श्रमिकों के पंजीयन की अनिवार्यता का भी समावेश किया जायेगा तथा कार्य प्रारम्भ करने का प्रमाण

पत्र निर्गत करने से पूर्व भवन निर्माणकर्ता/ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों की सूची स्थानीय अधिकारियों को उपलब्ध करायी जायेगी। समय–समय पर नागर निकाय/श्रम विभाग के अधिकारियों द्वारा निर्माण/कार्य स्थल का निरीक्षण कर यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों का पंजीकरण कराया गया है अथवा नहीं।

5. निर्माण एजेन्सी/ठेकेदार एवं निर्माण श्रमिकों का शत् प्रतिशत पंजीकरण कराये जाने का दायित्व जनपद स्तर पर तैनात नागर निकाय के अधिकारियों का होगा।

6. सेवायोजन/ठेकेदार द्वारा यदि पंजीकरण कार्य में अपेक्षित सहयोग नहीं किया जाता है तो भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 के प्राविधानों के अन्तर्गत उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाय तथा भविष्य में कार्य आवंटन हेतु उन्हें अपात्र घोषित किया जाय।

7. उल्लेखनीय है कि पंजीकरण एवं योजनाओं की प्रगति की समीक्षा दिसम्बर माह के प्रथम सप्ताह में मुख्य सचिव के स्तर पर की जायेगी।

उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नकःयथोक्त।

भवदीय,

(सी0बी0 पालीवाल)
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, श्रम विभाग।
2. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ0प्र0(द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0)
3. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, नगर विकास विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,

04/12/2015
(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव।

hggo-1

(संलग्नक–1)

Construction, alteration, repairs, maintenance or demolition of or in relation to Building or other construction works

Buildings, streets, roads, railways, tramways, airfields, irrigation, drainage, embankment and navigation works, flood control works (including storm water drainage works), generation, transmission and distribution of power, water works (including channels for distribution of water), oil and gas installations, electric lines, wireless, radio, television, telephone, telegraph and overseas communications, dams, cannals, reservoirs, watercourses, tunnels, bridges, viaducts, aqueducts, pipelines, towers, cooling towers, transmission towers and such other work as may be specified in this behalf by the appropriate Government, by notification.

योजनान्तर्गत उक्त कार्यों हेतु पात्र व्यक्तियों/श्रमिकों की सूची

1. बेल्डिंग करने वाले (वेल्डर)	2. बढ़ई (कारपेन्टर)	3. कुएं खोदने वाले	4. रोलर चलाने वाले
5. छप्पर डालने वाले	6. राजमिस्त्री (मेसन)	7. प्लम्बर	8. लोहार
9. मोजैक पॉलिश करने वाले	10. सड़क कर्मकार	11. मिक्सर चलाने वाले	12. पुताई करने वाले (पेन्टर)
13. इलैक्ट्रीशियन	14. हथौड़ा चलाने वाले	15.सुरंग कर्मकार	16. टाईल्स लगाने वाले
17. कुए से गाद (तलछट) हटाने वाले गोताखोर	18. चट्टान तोड़ने वाले या खनिज कर्मकार	19. स्प्रेमैन या मिक्सर मैन (सड़क बनाने में लगे मजदूर)	20.संगमरमर / कड़प्पा पत्थर कर्मकार
21.चौकीदार (निर्माण स्थल पर सुरक्षा हेतु तैनात)	22. चूना बनाने की प्रक्रिया में लगे कर्मकार	23. सन्निर्माण कार्य में जुड़े मिट्टी का कार्य करने वाले	24. मुख्य मजदूर (सीमेन्ट, मसाला, ईट ढोने वाले मजदूर)
25. लिफ्ट एवं स्वचालित सीढ़ी की स्थापना में लगे कर्मकार	26. सुरक्षा द्वारा एवं उपकरणों की स्थापना में लगे कर्मकार	27. मिट्टी, बालू व मौरंग के खनन कार्य में लगे कर्मकार	28. ईट भट्ठों पर ईट निर्माण की प्रक्रियाओं में लगे श्रमिक
29. सार्वजनिक पार्क का निर्माण एवं फुटपाथ का निर्माण	30. रसोई में उपयोग हेतु मॉडूलर इकाइयों की स्थापना में लगे कर्मकार	31. खिड़की ग्रिल, दरवाजे आदि की गढ़ाई एवं स्थापना में लगे कर्मकार	32 मकानों/बिल्डिगों की आन्तरिक सज्जा में लगे कर्मकार
33. बड़े यांत्रिक कार्य जैसे–मशीनरी, पुल का कार्य आदि में लगे खलासी	34. अग्निशमन प्रणाली की स्थापना एवं मरम्मत में लगे कर्मकार	35. ठंडा एवं गरम उपकरणों की स्थापना और मरम्मत में लगे कर्मकार	36. बॉढ नियोजन व इसी प्रकार के कार्य में लगे समस्त प्रवर्ग के कर्मकार
37. बॉध, पुल, सड़क या किसी भवन सन्निर्माण संक्रिया के नियोजन में लगे कोई अन्य प्रवग के कर्मकार	38. स्विमिंग पूल, गोल्फ कोर्स आदि सहित मनोरंजन सुविधाओं के निर्माण कार्य में लगे कर्मकार	39. लिपिक/लेखाकार किसी निर्माण कार्य से संबंधित लिपिकीय व लेखा कार्य कर रहे कर्मकार	40. सभी प्रकार के पत्थर काटने, तोड़ने व पीसने वाले कर्मकार

(संलग्नक–2)

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य से जुड़े पंजीकृत श्रमिको के हितार्थ उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं का विवरण।

1. दुर्घटना सहायता योजनाः– निर्माण श्रमिक की दुर्घटना मृत्यु होने पर रू0 2,00,000/–, स्थाई विकलांगता की स्थिति में रूपया एक लाख पचास हजार तथा आंशिक विकलांगता की स्थिति में रू0 80,000/– की आर्थिक सहायता दी जायेगी।

2. मातृत्व हितलाभ योजनाः– महिला श्रमिकों की पंजीकरण के उपरान्त दो प्रसवों तक रूपया 12000/– की आर्थिक सहायता दो किस्तों में (प्रत्येक छमाही रूपया छः–छः हजार) दी जायेगी। इसके अतिरिक्त पुरूष कामगारों के पत्नियों को इस योजना के अन्तर्गत लाभ की परिधि में लाते हुये उन्हें भी कुल रू0 6000/– दो किस्तों में (प्रत्येक छमाही रूपया तीन–तीन हजार) दिये जायेंगे।

3. शिशु हित लाभ योजनाः– शिशु लड़का होने की स्थिति में धनराशि रू0 10000/– प्रति शिशु की दर से देय होगा, किन्तु यदि शिशु लड़की है तो उक्त धनराशि रू0 12000/– वर्ष में एकबार प्रति शिशु की दर से देय होगी।

4. मेधावी छात्र पुरस्कार योजनाः– निर्माण श्रमिकों के मेधावी बच्चों को कक्षा पांच से बारहवीं एवं उससे आगे की पढ़ाई के लिये नगद सहायता व पुरस्कार दिये जायेगें।

5. मृत्यु एवं अन्त्येष्टि सहायता योजनाः– सामान्य मृत्यु एवं बीमारी से मृत्यु होने पर आश्रितों को रू0 1,00,000/– (रूपये एक लाख मात्र) तथा अन्त्येष्टि हेतु रूपया 15,000/–दिया जायेगा।

6. गम्भीर बीमारी सहायता योजनाः– लाभार्थी श्रमिक स्वयं अथवा उसकी पत्नी अथवा उस पर आश्रित 21 वर्ष से कम आयु के पुत्र/अविवाहित पुत्री की गम्भीर बीमारी में प्रदेश के किसी शासकीय चिकित्सालय में तथा भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार के नियंत्रणाधीन किसी स्वायात्शासी चिकित्सालय में निःशुल्क इलाज की सुविधा।

7. कौशल विकास, तकनीकी उन्नयन एवं प्रमाणन की योजनाः– निर्माण श्रमिक व उसके परिवार के वयस्क सदस्यों को रोजगारपरक व्यवसायों में तकनीकी प्रशिक्षण उपलबध कराया जाना ताकि तकनीकी दक्षता का विकास करना।

यदि निर्माण श्रमिक स्वयं प्रशिक्षण लेता है तो उसकी मजदूरी की प्रतिपूर्ति बोर्ड द्वारा की जायेगी।

8. निर्माण कामगार पुत्री विवाह अनुदान योजनाः— पुत्रियों के विवाह हेतु रूपया चालीस हजार की आर्थिक सहायता दी जायेगी।

9. निर्माण कामगार बालिका मदद योजनाः— निर्माण श्रमिकों को पुत्री पैदा होने पर रूपया बीस हजार की आर्थिक सहायता दी जायेगी।

10. निर्माण कामगार अक्षमता पेंशन योजनाः— निर्माण श्रमिक को दुर्घटना/बीमारी के कारण पूर्ण एवं स्थाई अक्षम होने पर नियमित रू 1000/— प्रतिमाह बतौर पेंशन लाभार्थी को उसके जीवनकाल तक देय होगा।

11.निर्माण कामगार हितार्थ " औजार कय हेतु आर्थिक सहायता योजना'

इस योजना के अन्तर्गत एक पंजीकृत निर्माण श्रमिक को साठ वर्ष की आयु तक अधिकतम धनराशि रूपया बीस हजार दी जा सकती है। ये धनराशि रूपया दो हजार के गुणांक में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि में एक बार देय होगी।

इस धनराशि से संबंधित कर्मकार एक समय में एक से अधिक औजार कय कर सकता है। इनमें से प्रत्येक औजार किसी भी मूल्य का हो सकता है, किन्तु शर्त यह है कि किसी एक औजार के कय हेतु बोर्ड द्वारा रूपया दो हजार से अधिक धनराशि नहीं दी जायेगी।

12.निर्माण कामगार हितार्थ " सौर ऊर्जा सहायता योजना'

निर्माण श्रमिक परिवार को ऊर्जा/प्रकाश संबंधी आवश्यकता पूर्ण करने हेतु सोलर लाइट/लालटेन निःशुल्क उपलब्ध करायी जायेगी।

13.साइकिल सहायता योजना

पंजीकृत/निर्माण श्रमिक को साइकिल कय हेतु रू0 2500/— का अनुदान दिया जायेगा।

14.निर्माण कामगार हितार्थ "आवास सहायता योजना"

निर्माण श्रमिकों को उनकी अपनी जमीन पर आवास बनाने हेतु रूपया एक लाख की धनराशि दो किश्तों में दी जायेगी।

15.निर्माण कामगार हितार्थ " राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना'

निर्माण श्रमिकों को भारत सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में सम्मिलित करते हुये स्वास्थ्य संबंधी सहायता उपलब्ध कराना।

इस योजना में निर्माण श्रमिकों के लिये आवश्यक नहीं होगा कि वे बी0पी0एल0कार्डधारक हों।